

राजस्थान-सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प02(4)(च0श्रे0क0)वरि0/आ0कृ0/ 6688-6787

दिनांक : 25.3.2019

1. आयुक्त, ज.ग्र.वि. एवं भू-सं. जयपुर।
2. निदेशक, उद्यान विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा।
4. संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) / ()
5. संयुक्त निदेशक उद्यान,
6. अधि0अभि0 (भू-संसाधन) जि.प
7. उप निदेशक कृषि (वि0) जि.प
8. उप निदेशक कृषि (शस्य) / (रसा) / (गु.नि)
9. उप निदेशक कृषि एवं भू-सर्वेक्षण, बीकानेर।
10. उप निदेशक उद्यान,
11. सहायक निदेशक कृषि (वि0)
12. सहायक निदेशक उद्यान,
13. कृषि अनुसंधान अधिकारी, मिटटी / बीज परीक्षण प्रयोगशाला,
14. सहायक अभियन्ता (भू-संसाधन) ईकाइ पं.स.
15. जिला विस्तार अधिकारी, इगानप,
16. संस्थापन शाखा (अराजपत्रित) मुख्यालय
17. अन्य

विषय:- दिनांक 01.04.2019 को सीनीयर सैकण्डरी एवं कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता एवं योग्यता सूची बनाने हेतु सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके अधीन दिनांक 01.04.2019 को सीनीयर सैकण्डरी उत्तीर्ण एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.07.10 में वर्णित संस्थानों के माध्यम से कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिनका नाम कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 01.04.2018 को जारी वरिष्ठता सूची में सम्मिलित ना हो, की सूचना निम्नानुसार भिजवावे:-

क्र. सं.	नाम एवं पद	जन्म तिथि (मय प्रमाण पत्र के)	योग्यता वर्ष एवं दिनांक	प्रथम नियुक्ति तिथि (सेवापुस्तिका के अनुसार)	जाति (मय जाति प्रमाण पत्र के)	योग्यता प्राप्त कराने हेतु विभाग द्वारा दी गई अनुमति के आदेश की प्रति
1	2	3	4	5	6	7

उक्त सूचना के साथ योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां 15 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवायें। सूचना के अभाव में किसी कार्मिक का नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं होने पर संबंधित कार्यालय की जिम्मेदारी होगी।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)